कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–प्रारं/शि.प्र./4478/17/ दिनांकः15/08/17

प्रेस नोट

विषयः–बीएसटीसी द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत महिला एवं विकलांग प्रशिक्षणार्थियों के कालेज परिवर्तन/स्थानान्तरण के संबध में।

प्रसंगः–राज्य सरकार का पत्र कमांक प.7(6)प्राशि/आयो/2016 जयपुर दिनांक 23.08.2017

राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों की पालना में बीएसटीसी द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान परिवर्तन/स्थानान्तरण के संबध में निम्नानुसार पात्र प्रशिक्षणार्थी अपने प्रार्थना पत्र निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर में दिनांक 20.09.2017 तक प्रेषित कर सकते है।

01. विशेष परिस्थितियों में केवल महिला एवं विकलांग प्रशिक्षणार्थियों के स्थानान्तरण पर विचार किया जा सकेगा।
02. आवेनदनकर्ता प्रशिक्षणार्थी बीएसटीसी प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
03. आवेदनकर्ता प्रशिक्षणार्थी जिस शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत है तथा जिस नवीन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है, दोनो संस्थाओं में शुल्क जमा करवाने की सहमति होनी चाहिए।
04. स्थानान्तरण के लिये इच्छित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में बीएसटीसी द्वितीय वर्ष में सीट रिक्त होनी चाहिए।
05. यदि किसी एक ही रिक्त स्थान पर 2 या 2 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो उस प्रशिक्षणार्थी को प्राथमिकता दी जायेगी जिसने आवेदन पहले किया है।

अतः इच्छुक प्रशिक्षणार्थी अपना स्थानान्तरण आवेदन पत्र निम्न दस्तावेजो को संलग्न कर निर्धारित दिनांक तक इस कार्यालय को प्रेषित कर सकते है।

1. सक्षम स्तर से प्राप्त विकलांगता प्रमाण पत्र।
2. बीएसटीसी प्रथम वर्ष की प्रमाणित अंकतालिका अथवा प्रथम वर्ष परीक्षा का रोल नम्बर अंकित किये गये प्रवेश पत्र की प्रति।
3. अध्ययनरत संस्थान में शुल्क जमा की रसीद की प्रति।
4. स्थानान्तरण इच्छित संस्थान में सीट रिक्त होने का प्रमाण पत्र।

निर्धारित दिनांक के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा(आयोजना)शासन सचिवालय,जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट,माध्यमिक शिक्षा निदेशालय,राजस्थान,बीकानेर एवं श्रीमती चित्रा अवस्थी I.A. कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
3. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाऐं,राजस्थान,बीकानेर को समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को ईमेल के माध्यम से अवगत करवाने हेतु।
4. जनसम्पर्क अधिकारी,बीकानेर को प्रेषित कर अनुरोध है कि समाचार पत्रों के माध्यम से उपरोक्त प्रक्रिया का व्यापक प्रचार प्रसार कराने का श्रम करावें।
5. वरिष्ठ संपादक,राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर को देकर अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त विवरण को निःशुल्क आपके समाचार पत्र के राज्य स्तरीय अंक में प्रकाशित का श्रम करावें।

निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर